

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पारित
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत करकेड़ी दिनांक 25-11-2021

न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला-अजमेर
क्रमांक/प्रशा0गांवों के संग अभियान/2021/788

दिनांक :- 25/11/21

-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प करकेड़ी में मजमें आम में जानकारी अनुसार, रिपोर्ट पटवारी हल्का जांच भूअनि सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट/ अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला- अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता संख्या 530 में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0स0	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज (अशुद्ध प्रविष्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	करकेड़ी	530	(i) रामनिवास पुत्र रामकरण हि० 293/48/5 (ii) मोहनलाल पुत्र समराज हि० 11/225 (iii) ओमप्रकाश पुत्र नानू हि० 11/225	(i) रामनिवास पुत्र रामकरण हि० 80/963 (ii) मोहनलाल पुत्र समरा- राम हि० 8/225 (iii) ओमप्रकाश पुत्र नानू- राम हि० 9/225

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
जिला-अजमेर
दिनांक- 25/11/21

क्रमांक/सम/2021/1479-80

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भिजवाकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करवाकर पालना करें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
जिला-अजमेर

